राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./ 270 दिनांक :- 05/08/2020

नोडल प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
राजस्थान

विषयः– मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/सम्पर्क पोर्टल से सम्बन्धित परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण बाबत।
संदर्भः– पत्रांक एफ4 (निकाशि)/पॉलिसी/नि.स./2020/16 दिनांक 31.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का नियमित रूप से त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु परिवेदनाओं के लिए एल–1 (नोडल प्रचार्य स्तर) है तथा एल–2 (सहायक निदेशक स्तर) है। इस हेतु संदर्भित पत्र अनुसार तहसील स्तर पर जो नोडल प्राचार्य नामित है उन्हे सामान्य व निजी बी.एड. महाविद्यालयों से संबन्धित परिवेदनाओं का नियमानुसार ऑनलाइन निस्तारण करना है। इस हेतु निम्न तालिकानुसार कार्यवाही अपेक्षित है–

	बी.एड. महाविद्यालय से सम्बन्धित परिवेदनाओं के संबंध में निर्देशः–	
	परिवेदनाएं	अग्रेषण/निस्तारण/हस्तान्तरण का स्तर
1	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता सम्बन्धित परिवेदनाए WRC/NCTE, दिल्ली से सम्बन्धित होने के कारण निदेशालय स्तर (एल–3, संयुक्त निदेशक **(नि.सं.)**पर अग्रेषित करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर
2	इन्टर्नशिप से सम्बन्धित परिवेदनाएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जयपुर को हस्तान्तरित करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर
3	बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड./सी.टी.ई. संस्थाओं से सम्बन्धित परिवेदनाएं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को हस्तान्तरित करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर
4	बी.एड. कालेज आवंटन/ महाविद्यालय हस्तान्तरण एवं फीस संबंधी परिवेदनाएं उस वर्ष में पीटीईटी आयोजित करवाने वाले समन्वयक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को हस्तान्तरित करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर
5	परीक्षा से सम्बन्धित परिवेदनाएं/शैक्षणिक स्टाफ सम्बन्धित विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर
6	अवैध वसूली, दुर्व्यवहार, दस्तावेज नहीं लौटाने संबंधी परिवेदनाएं निदेशालय स्तर पर अग्रेषित न करें।	एल–1(प्राचार्य) स्तर पर जांच का कार्य **नियमानुसार** किया जावेगा जिसमें एल–2 (सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय)एल–1 (प्राचार्य) को सहयोग करें।
7	अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सम्बन्धित समस्त परिवेदनाएं निदेशालय स्तर (एल–3, संयुक्त निदेशक (नि.सं.)पर अग्रेषित करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर
	निजी महाविद्यालयों से सम्बन्धित परिवेदनाओं के सम्बन्ध में निर्देशः–	
1	सामान्य परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा से सम्बन्धित परिवेदनाएं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरित करें।	एल–1(प्राचार्य) स्तर
2	विभिन्न प्रकार के शुल्क के नाम पर अवैध वसूली, कॉलेज स्थानान्तरण सम्बन्धी परिवेदनाएं एवं निजी महाविद्यालय के स्टाफ सम्बन्धित परिवेदनाएं निदेशालय स्तर पर अग्रेषित न करें।	एल–1 (प्राचार्य) स्तर पर जांच का कार्य किया **नियमानुसार** जावेगा जिसमें एल–2 (सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय) एल–1 (प्राचार्य) को सहयोग करें।
3	अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सम्बन्धित समस्त परिवेदनाएं निदेशालय स्तर (एल–3, संयुक्त निदेशक (नि.सं.)पर अग्रेषित करें।	एल–1 स्तर

निजी संस्थाओं से सम्बन्धित परिवेदनाओं के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि वे **संलग्न प्रारूप** अनुसार संबंधित निजी महाविद्यालय से परिवेदना का प्रत्युत्तर प्राप्त कर अधिकतम 7 दिवस में **नियमानुसार** कार्यवाही सूनिश्चित करें।

04/08.

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)

प्रारूप

(नोडल राजकीय महाविद्यालय का लेटर हेड)

क्रम संख्या दिनांक

प्राचार्य /सचिव

----------------------(निजी संस्था का नाम)

---------------------(स्थान)

विषय: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/संपर्क परिवेदना के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत करने बाबत

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित परिवेदना प्राप्त हुई है, परिवेदना पत्र के साथ संलग्न है, परिवेदना के संदर्भ में की गई कार्यवाही को ----------- (दिवस की संख्या लिखें) में निम्न प्रारूप में प्रेषित करें :-

नोडल राजकीय महाविद्यालय द्वारा भरा जाए					निजी संस्था द्वारा भरा जाए
क्रम संख्या	परिवेदना संख्या,परिवादी का नाम व मोबाइल नंबर	परिवेदना का विषय	परिवेदना का संक्षिप्त विवरण	निजी संस्था से नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही	निजी संस्था द्वारा परिवेदना के निस्तारण हेतु की गई कार्यवाही का प्रत्युत्तर

संस्था द्वारा की गई कार्यवाही के संलग्नक (यदि कोई हो) प्रेषित करे।

प्राचार्य

नोडल राजकीय महाविद्यालय